दिनांकः 29.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा लूट का 01 शातिर वांछित अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस तथा 01 बिना नम्बर प्लेट मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखने के साथ ही अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड हेतु लगातार सघन गश्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को प्रातः जब थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम नुमाईश कैम्प पर चैकिंग कर रही थी तो पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर अपराधी राधा विहार की तरफ से नुमाइश कैम्प की तरफ ही आ रहा है सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हो गयी और तभी एक संदिग्ध व्यक्ति अलसी के बाग के पास मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया गया, जो नही रूका तथा मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने लगा जिस कारण मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। **पुलिस टीम जब सदिंग्ध के नजदीक पहुँची तो बदमाश ने अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान फतेहयाब पुत्र मेहताब निवासी लक्खी गेट के पास नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 36 वर्ष के रूप में हुई है**। जिसे उपचार हेतु चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है । **बदमाश फतेहयाब उपरोक्त दिनांक 16.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 143/24 धारा 392 भादवि, सुपर स्टार गैस एजेन्सी के पास महिला से सोने के कुण्डल लूट का घटना का वांछित अभियुक्त है** । अभियुक्त थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है तथा अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट आदि के मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बाताया गया कि दिनांक 16.06.2024 को सुबह के समय चकरौता रोड पर एक महिला से मैने अपने साथी दानिश पुत्र जमीर अहमद निवासी बडी मस्जिद नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर के साथ मिलकर सुपर स्टार गैस एजेन्सी के पास एक महिला से कुन्डल लूटने की घटना कारित की थी जिसके पश्चात दिनाँक 19.06.2024 की रात्रि में ढमोला नदी की पटरी पर पुलिस मुठभेड़ में मेरा साथी दानिश पकडा गया था तथा मै मौके से फरार हो गया था तब से मै पुलिस से छुपता छुपाता घूम रहा था। आज मै अलसी के बाग के पास से जा रहा था तभी रास्ते में पुलिस टीम को चैकिंग करते देख मैने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तथा मौके से भागने लगा, पुलिस टींम द्वारा मुझे चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फतेहयाब पुत्र मेहताब निवासी लक्खी गेट के पास नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर (नाल में फँसा)
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट मोटर साईकिल पल्सर रंग काला

अभियुक्त फतेहयाब का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 223/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ
2. मु0अ0स0 34/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुऱ
3. मु0अ0स0 104/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डी सहारनपुऱ
4. मु0अ0स0 187/20 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ
5. मु0अ0स0 419/19 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ
6. मु0अ0स0 421/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ
7. मु0अ0स0 143/24 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ
8. मु0अ0स0 145/24 धारा 307/414 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ
9. मु0अ0स0 154/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 मु0अ0स0 223/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुऱ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 भूपेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. है0का0 356 नीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
6. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
7. का0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 29.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चोरी की घटना का मात्र 24 घण्टे में अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के जेवरात (सफेद व पीली धातु), 15000/- रुपये व अन्य सामान बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2024 को वादी श्री रविन्द्र पुत्र रामपाल निवासी श्रृद्धा कालोनी कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत दो अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान मे रखी अलमारी का ताला तोडकर करीब 41,000 रूपये व सोने चाँदी के आभूषण व ट्रेक्टर के कागजात चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 200/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व चोरी गये सामान की बरामदगी हेतु निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1.दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड़ जिला सहारनपुर 2. प्रदीप उर्फ रशीया पुत्र जादीराम निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को शमशान घाट थाना क्षेत्र नकुड के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तो के कब्जे से 15000/- रुपये नगद व एक छोटे सफेद लाल पर्स मे पीली व सफेद धातु के जेवर व एक पैन कार्ड व दो आधार कार्ड व एक एटीएम व एक आरसी टैक्ट्र को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 454/411 भादवि की वृद्धि की गई है। अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्पा पूर्व मे भी कई बार थाना नकुड से जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनो ने यह रुपये व जेवरात श्रृद्धा कालोनी मे बने एक घर में घुसकर घर के कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उस घर से चोरी किये थे इस चोरी में हमे 41 हजार रूपये व यह जेवरात मिले थे जिसमें से हमने 20500 -- 20500 रूपये तथा आधा - आधा जेवरात व सामान बांट लिया था। हम लोग नशा करते है जिस कारण बाकी रूपये हमने खर्च कर दिये। आज हम इस सामान को लेकर सहारनपुर जाने की फिराक मे थे कि वहाँ जाकर इस जेवरात को किसी व्यक्ति को बेचते लेकिन पुलिस ने हम लोगो को पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।
2. प्रदीप उर्फ रशीया पुत्र जादीराम निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 15000 रुपये नगद ।
- पीली व सफेद धातु के जेवरात
- एक पैन कार्ड,दो आधार कार्ड , एक एटीएम, आरसी टैक्ट्र

❖ **<u>अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्पा उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>**

1. मु0अ0सं0 231/21 धारा 380/511 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 23/21 धारा 380/457/411 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 46/20 धारा 323/325/498ए/504 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 94/23 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 225/22 धारा 414/465 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 141/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 223/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 41/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 40/22 धारा 398/401 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 236/16 धारा 323/325/354/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 412/20 धारा 147/148/323/324/452/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

❖ **<u>अभियुक्त प्रदीप उर्फ रशीया उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>**

1. मु0अ0सं0 254/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 135/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 136/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 49/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं 48/21 धारा 465 भादवि चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रचित यादव नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 552 हरेन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 29.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा हत्या की 01 वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 01.05.2024 को वादी श्री रवीश पुत्र जसवन्त निवासी भरतपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण नीटू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र मदन 2.मूर्ति पत्नि सुरेन्द्र उर्फ मदन निवासीगण सरसीना थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पत्नि नीलम की जहर देकर हत्या कर देना के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 96/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा थाना नांगल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/24 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्ता **मूर्ति पत्नि नीटू उर्फ सुरेन्द्र निवासी सरसीना थाना नांगल जिला सहारनपुर** को बस स्टैण्ड सरकारी नर्सरी के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

मूर्ति पत्नि नीटू उर्फ सुरेन्द्र निवासी सरसीना थाना नांगल जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 ओमेन्द्र सिंह मलिक थाना नांगल सहारनपुर।
3. उ0नि0यूटी आशीष चौधरी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. उ0नि0यूटी मनोरमा देवी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
5. है0का0 757 सन्नी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
6. म0का0 691 रूची चौहान थाना नांगल जिला सहारनपुर।

दिनांक: 29.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.06.2024 को वारण्टी अभियुक्त **सज्जाद पुत्र एनुद्दीन निवासी सनसाईन स्कूल के पास नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 5212/20 धारा 138 एनआई एक्ट को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

सज्जाद पुत्र एनुद्दीन निवासी सनसाईन स्कूल के पास नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्रा देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 714 नितिन थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक: 29.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.06.2024 को वादी श्री मुमताज पुत्र फजरअली निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण 1.गय्यूर पुत्र कय्यूम 2.मसरूफ पुत्र कय्यूम 3.प्रवेज पुत्र इदरीस 4.कय्यूम पुत्र फय्याज निवासीगण ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 5-6 अन्य नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डे व तमंचे से लैस होकर वादी के पुत्र साहिब व भतीजे मोबिन के साथ गाली गलोज करते हुये मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 149/24धारा 147/149/323/307/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **प्रवेज पुत्र इदरीश निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को कुतुबपुर रोड से ढिक्का घाट की तरफ से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 A.Act की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त प्रवेज द्वारा बताया गया कि मोबीन व हमारे परिवार की आपस मे वर्चस्व की लडाई रहती है दिनांक 25.06.24 को मै अपने साथियो के साथ हमारे गांव के मोबीन की डेरी जो गांव के बाहर है पर हथियार तमन्चे लेकर झगडा करने गया था। हम लोगो को देखकर मोमीन व उसके घरवाले डेरी से भाग गये थे परन्तु रास्ते मे मुमताज पुत्र फजर अली निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर का लडका साहिव व भतीजा आसिक जो खेतो मे काम कर रहे थे ने हम लोगो को झगडा करने से रोका तथा हम लोगो को भला बुरा कहा इस बात को लेकर हमारा साहिव व आसिक से झगडा हो गया था तथा हमारे साथी गय्यूर द्वारा साहिब को अपने तमन्चे से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी जो साहिब की टांग मे लग गयी और बच गया था। तथा आसिक के साथ भी मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रवेज पुत्र इदरीश निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 यशपाल सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. यूटी उ0नि0 रणवीर सिंह सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 962 अमित मलिक थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 251 विदोष कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मारपीट के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 27.06.2024 को वादी श्री अमीना पुत्री बहार अहमद नि0 ग्राम धलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त गण 01. जमीर 2. समीर 3.तनवीर पुत्रगण जमील व 4.जमील पुत्र अब्दुल मजीद निवासीगण ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के छोटे भाई लूकमान के साथ लाठी डण्डो से मारपीट करना जिससे उसकी हड़डी टूट जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 154/24 धारा 323/325 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण **जमीर व समीर पुत्रगण जमील निवासीगण ग्राम धलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. जमीर पुत्र जमील नि0 ग्राम धलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. समीर पुत्र जमील नि0 ग्राम धलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 845 तेजिन्दर सिंह सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 25 जयप्रकाश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक: 29.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनाक 28.06.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.श्रीमती विनोद पत्नि वीर सिंह 2.समर्थ उर्फ लक्की पुत्र वीर सिंह 3.वीर सिंह पुत्र रामगोपाल निवासीगण ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के भाई राजीव के साथ मारपीट व गाली गलौच करना व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करना जिसके छर्रे वादी के भाई राजीव के मुहँ पर लग जाने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 117/2024 धारा 323/504/506/307/34 भादवि पजींकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्कान संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष गागलहेड़ी श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के दो वांछित अभियुक्तगण **समर्थ उर्फ लक्की पुत्र वीर सिंह 2. वीर सिंह पुत्र रामगोपाल निवासीगण ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर भगवानपुर तिहारे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त समर्थ उर्फ लक्की पुत्र वीर सिंह ने पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनाक 28/6/2024 को मेरी माता श्रीमति विनोद के द्वारा नाली की सफाई का कूडा हमारे पडोसी सुभाष के घऱ के सामने की तरफ कर दिया था जिसको लेकर सुभाष व उसके भाई राजीव की हमारी माता श्रीमति विनोद से कुछ कहा सुनी हो गयी थी मुझे व मेरे पिता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैने व मेरे पिता ने घर से बाहर आकर राजीव के साथ मारपीट कर दी तभी मेरे पिता ने कहा कि घर मे रखे तमंचे को लाकर इस राजीव मे गोली मार दे तो मैने तमंचे से एक फायर किया जो राजीव के घर के दरवाजे मे लगा और उसके छर्रे राजीव को लग गये। मै ओर मेरे पिता मौके से भाग गये।

अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. समर्थ उर्फ लक्की पुत्र वीर सिंह नि0 ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी स0पुर
2. वीर सिंह पुत्र रामगोपाल नि0 ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी स0पुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 (यू0टी0) डैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर